फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :—श्री रतनलाल गर्ग | विपक्षी :— राज्य

किस्म मुकदमा :—88,188 आरटीएक्ट | पत्रावली संख्या :—185/25

जीसीएमएस नम्बर :— 2025/

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.04.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खातेदार पन्नालाल पिता भागीरथ की भूमि में घोषणा चाहने बाबत पेश किया है। वादीगण द्वारा निवेदन किया की पन्नालाल पिता भागीरथ का निधन हो चुका है। जिनके वारिस रामचन्द्र है। रामचन्द्र के वारिस वादीगण है। इससे जाहीर आया की वादीगण द्वारा विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के अनुसार भागीरथ के दो पुत्र पन्नालाल एवं जगन्नाथ थे। जगन्नाथ के दो पुत्र शिवनारायण एवं रामचन्द्र है। रामचन्द्र के वारिस वादीगण को बताया गया है तथा शिवनारायण को लाऔलाद फौत होना बताया गया है। वादीगण द्वारा पन्नालाल एवं रामचन्द्र का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है। जिसके अनुसार पन्नालाल एवं रामचन्द्र का निधन हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र में रामचन्द्र के पिता का नाम पन्नालाल अंकित है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार रामचन्द्र पन्नालाल के गोद गया है। ऐसे में न्यायालय का मानना है कि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए पृथक से नियम बने हुए है। खातेदार के निधन के पश्चात नियमानुसार वादीगण को विरासत के नामान्तरकरण के लिए आवेदन करना चाहिए था। प्रकरण वर्तमान में घोषणा का नही होकर विरासत के नामान्तरकरण का है। विरासत के नामान्तरकरण हेतु सक्षम न्यायालय (तहसीलदार) के समक्ष वादीगण को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष विरासत हेतु यदि आवेदन प्रस्तुत किया है तो तहसीलदार को नियमानुसार दर्ज कर निर्णय पारित करना चाहिए था। प्रकरण तहसीलदार मावली को भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत् दर्ज कर सुनने का अधिकार हैं। ऐसे में प्रकरण को सक्षम न्यायालय में	

स्थानान्तरित किया जाना उचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार मावली को स्थानान्तरित कर निर्देशित किया जाता है कि धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान/हितबद्ध पक्षकारो को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। जरिये अधिवक्ता वादीगण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार मावली में दिनांक 19.06.2026 को उपस्थित रहे। तहसीलदार मावली को उक्त आदेशिका एवं वाद पत्र की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली